



o/c

राजस्थान पंचायतों में नारीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रमाणित

दिनांक

वाट नं० 1/82 1111 एवं
1/82 1201

विषय: राजस्थान आवासन मंडल द्वारा तार्यजनिक
प्रयोजनाय अर्थात् छत्तालि कालीनी निर्माण
हेतु आवास हे अर्थात् ग्राम का अर्थात् आवास
ग्राम सुजानपुरा कारा नम्बर 48 रक्बा 10 धिया
कारा नम्बर 49 रक्बा 2 धिया 10 धिया
कुल रक्बा 5 धिया एवं कारा नम्बर 125 रक्बा
6 धिया 9 धिया

पं० आवासन अधिकारी:

श्री सुभाष आर. स. स., निदेशाधिकारी, नारीय विकास
एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

पञ्चकार:

वाट नं० 1/82 1111

1. धिया कुल राम नाम वाति अर्थात् निवासी ग्राम सुजानपुरा
तहसील तार्यजनिक

वाट नं० 1/82 1201

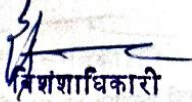
2. भीरो नाम कुल हरिभाराम, अर्थात् नारायण कुल बट्टी
नारायण, राधेनारायण कुल लक्ष्मी नारायण वाति सुजान
निवासी ग्राम सुजानपुरा तहसील तार्यजनिक जिला-जयपुर
वरिये श्री रामचन्द्र झाई एडवोकेट

3. राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर वरिये श्री दीनदयाल
झाई, एडवोकेट.

:: अर्थात् ::

111

राज्य सरकार के नारीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर को ओर से राजस्थान आवासन मंडल
के तार्यजनिक प्रयोजनाय अर्थात् छत्तालि कालीनी


निदेशाधिकारी

नारीय विकास एवं आवासन विभाग :
राजस्थान, जयपुर.



बनाने हेतु निम्न ग्रामों के सामने अति भूमि की अर्जा
 करने के अति राजस्वान भूमि अर्जा अधिनियम 93 की
 अति अधिनियम 1953 से सम्बन्धित किया जाकर 4 के अन्तर्गत दिने जिले अधिभूत प्रमाण 1957/21
 न. वि. अ. / 11/81 दिनांक 12.1.1982 की राजस्वान
 राजस्व के माग'त में दिनांक 13.1.82 की प्रमाणित
 की गई। प्रमाणित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	नाम ग्राम	बीघा	विवरण
1.	कुशीपुरा	807	06
2.	देवरी	679	04
3.	हालावा घाट	936	03
4.	काशीपुरा उर्फ कैलावाला	38	11
5.	मानपुर देवरी उर्फ नीलावाला	27	07
6.	नन्द खीरपुरा उर्फ मान्यावाला	82	04
		योग: 2570	15

121

तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि की अर्जा की अति
 आवश्यकता को ध्यान में रखी हुए राजस्वान भूमि अर्जा
 अधिनियम 1953 की धारा 17 की उप धारा 4 के अन्तर्गत
 पदस्त अधिकारों के प्रयोग में धारा 9 की उप धारा 11 में
 उल्लिखित नीति में प्रमाणित की जाने की तिथि से 15
 दिनांक की समाप्ति पर उपरोक्त विवरण में उल्लिखित भूमि
 का हज्जा लेने हेतु विभागाधिकारी, नारीय विकास एवं
 आवासन विभाग राजस्वान, जयपुर की विवरण प्रमाणित
 1957/21 न. वि. अ. / 11/81 दिनांक 12.1.1982 की
 राजस्वान राजस्व में दिनांक 9.2.82 माग'त में प्रमाणित
 हुई के द्वारा अर्जा किया।

धारा 4 17141 की अधिभूत प्रमाणित होने के पश्चात्
 अर्जा के अन्तर्गत भूमि का तत्कालीनसार माग'त से
 जाया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन धारा 17/141/81 के माग'त
 के नामभूमि का हज्जा तानान्तरण हेतु तथा अर्जा 88 व

विशेषाधिकारी
 राजस्व विभाग एवं आवासन विभाग
 राजस्वान, जयपुर.

131



13
 कि प्रस्ताव करने हेतु पब्लिक नोटिस निम्नांकित दिनांक
 5.5.82 को प्रकाशित कराया गया। पब्लिक नोटिस
 प्रकाशित होने के 15 दिनों के बाद निम्न निम्नलिखित
 तिथियों में भूमि का कब्जा प्राप्त किया।

दिनांक 22.5.82 ग्राम तुलामपुर, नन्द किरीरपुरा
 उके मान्यावात सर्वे करा।

दिनांक 24.5.82 डालानाचौक, बलरामपुरा उके
 डेडावाला, मानपुरदेहरी उके
 मान्यावात।

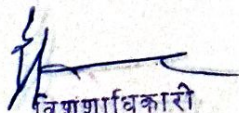
141

भूमि का कब्जा किया जाकर अति परती राजस्थान
 आवातन अडल के प्रतिनिधि की समझाया गया।
 उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार विभिन्न डालीदारों/
 डालीदारियों की अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत
 नोटिस जारी किये गये तबत डाली नम्बर की भूमि का
 वही प्रस्ताव करने हेतु तुलना दैनिकपत्र राजस्थान पत्रिका
 में दिनांक 19.6.1982 में की प्रकाशित हो गई।

151

अधिनियम की धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस प्रकाशित
 करने से पूर्व सरकार के पत्र क्रमांक एफ-71721 न. वि. अ.
 11/81 दिनांक 29.4.1982 द्वारा ग्राम तुलामपुरा
 डालाना चौक सर्वे मान्यावातको कुल डाली नम्बरों की
 भूमि को अन्तर्गत कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की
 गई, आ। अधिनियम की धारा 9(1) के नोटिस में स्थान
 आदेश संबंधी भूमि की सम्पत्ति नहीं किया गया सर्व
 कब्जा की नहीं किया गया। इस प्रकार स्थान आदेश
 संबंधी भूमि को छोड़ते हुए तथा राजस्व अधिकार में
 अंतिम रखने से अधिकारको को छोड़ते हुए निम्नगामी है
 अग्रे अंतिम भूमि का कब्जा दिनांक 22.5.82 एवं 24.5.82
 को किया जाकर राजस्थान आवातन अडल की तैयार गया :-

नाम ग्राम	बोका	विस्था
1. बलरामपुरा उके डेडावाला तहसील तमिनेर	38	11
2. मानपुर देहरी उके मान्यावात तहसील तमिनेर	24	06
3. नन्दकिरीरपुरा उके मान्यावात	82	04


 विशेषाधिकारी
 नगरपाल विकास एवं आवासन विभा
 राजस्थान, जयपुर.



नाम ग्राम	बीघा	बिघा
4. बलानाथी तहसील तामिनी	892	10
5. देवरी तहसील तामिनी	667	13
6. कुशीमुरा तहसील तामिनी	726	19
योग	2285	11

168

कारा नम्बर 48 रकबा 10 बिघा, कारा नम्बर 49 रकबा 2 बीघा 10 बिघा कुल रकबा 3 बीघा एवं कारा नम्बर 125 रकबा 6 बीघा 9 बिघा बिघा अर्थात् दिया जाकर रहा है, यह ग्राम कुशीमुरा तहसील तामिनी की 726 बीघा 19 बिघा भूमि में सम्मिलित है, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम दावेदार/हितकारी	कारा नम्बर	रकबा बीघा-बिघा	क्षेत्र भूमि
1.	श्री बीरसा पुत्र रामनाथ धाति धानका	48	0-10 बाराही-2	
		49	2-10 बाराही.	
		योग	3-00	
2.	श्री भीरीलाल पुत्र हरिनारायण श्री ओमनारायण पुत्र बहीनारायण श्री राधेनारायण पुत्र कमोनारायण धाति ब्राह्मण	125	6-09 बाराही	

171

उपरोक्त कारा नम्बर के दावेदारों ने अपना अपना हित व एक जगह ही अधिनिष्पन्न को धरा 9131 है तदर्थ मैं अपने अपने बीघा प्रस्तुत किये हैं। प्रस्तुत बीघों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. श्री बीरसा पुत्र रामनाथ धानका धातु तहसील/821111 कारा प्रस्तुत बीघा—

100 भूमि की कीमत 45,000/- रुपये प्रति

बीघा की दर है रु०००,

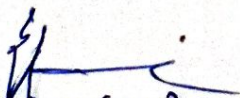
1,00,000.00

विशंशाधिकारी
समन्वय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.



1. भूमि की परीक्षण के लिए का मुआवजा 15,000/-	40,000.00
प्रति बोधा की दर है	375.00
2. भूमिगत र.तो. पानी की कीमत 375/-	400.00
3. लोहे की डोरी की कीमत	1,999.00
4. मिट्टी की डोरी की कीमत	2,000.00
5. कुएँ की जल का मुआवजा	4,000.00
6. भूमि विकास की	3,500.00
7. कुएँ की कीमत	9,000.00
8. अवासीय छप्पर पीस की कीमत	26,187.00
9. अनिवार्य अवाधि का मुआवजा	
10. अवाधि कार्यवाही में समय एवं अन्य व्यय का मुआवजा 5 प्रतिशत	13,093.00
11. शिफ्टिंगो बावें	84,000.00
12. मुआवजे की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज	

बाद तारीख 1/82/111 की आराजी उत्तरा नम्बर 48 रकबा 10 बिस्वा अपना खान्दर छप्पर पीस पर अपना स्थापित कालाती हुए प्रभुतात पुन इचीला धानका निवासी ग्राम तुलसीपुरा ने अपना जमीन प्रस्तुत कर मांग की है कि उनके छप्पर पीस, धर व चकूतरी की कीमत 15,000/- रुपये तथा उनके कुएँ के उत्तर और पश्चिम में बनी डोरी की कीमत के 200/- रुपये का प्रकार कुल 15,200/- रुपये प्राप्त करने के लिये निवेदन किया है तथा उपरोक्त मुआवजे की राशि पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की मांग की है तथा 1000/- रुपये शिफ्टिंगे बावें की मांग कर कुल मुआवजा 18,630/- रुपये दिनाये जाने के लिये निवेदन किया है ।


विशेषाधिकारी

महाराष्ट्र विकास एवं आवासन विभाग :
राजस्थान, जयपुर.

बाद तारीख 1/82/111 में श्री रामेश्वर लाल पुन रामनाथ बाति धानका निवासी तुलसीपुरा तहसील तमिनाद ने दिनांक 1.9.83 की प्रार्थना पुन प्रस्तुत कर भूमि उत्तरा नम्बर 48 व 49 का कुल रकबा 3 बोधा में है 1/2 भाग प्राप्त करने के लिए अपने आपको दितकट पकडार कालाती का मुआवजा प्राप्त करने की मांग की है ।



श्री रामनारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण द्वारा प्रस्तुत बीम
बाद संख्या 1/821201

क) भूमि क्षेपण नम्बर 125 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में से 2 बीघा 3 बिस्वा की कोमा 45,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से	96,750.00
ख) भूमि की पोटेन्शियल वैल्यू 15,000/- प्रति बीघा की दर से	32,650.00
ग) भूमि विकास कार्य में खर्च	5,000.00
घ) बिस्वा की डोली की कोमा	1,200.00
ङ) कुंओं का मुआवजा	6,000.00
च) अरबू के पेड़ों का मुआवजा	12,000.00
छ) बालूतल व रोच के कुंओं का मुआवजा	200.00
ज) पक्के घोरों का मुआवजा	1,000.00
झ) सिफिरी व रिमूवल चार्ज	2,000.00
ट) अनिवार्य जमापि 10 प्रतिशत	15,680.00
ड) जमापि कार्यवाही में तमम एवं धन्य व्यय का मुआवजा	7,840.00
द) दिनांक 22.5.82 से मुआवजे की राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज मुआवजा मिलने की तारीख तक	

श्री जीम नारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण द्वारा प्रस्तुत बीम
बाद संख्या 1/821201

क) भूमि क्षेपण नम्बर 125 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में से भूमि 2 बीघा 3 बिस्वा की कोमा 45,000/- रुपये की दर से	96,750.00
ख) भूमि की पोटेन्शियल वैल्यू 15000/- रुपये की दर से प्रति बीघा	32,650.00
ग) विकास कार्य पर खर्च	6,000.00
घ) डोली की कोमा	1,740.00

...7.....

विशंशाधिकारी
समूह विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर



17

[क]	कुर्वा की बाय को, मुआवजा	8,000-00
[ख]	बरहू 24 गुन एवं नीम का 1 गुन का मुआवजा	20,150-00
[ग]	पक्के धोरो की कीमत	1,050-00
[घ]	आवासीय भूमि 133 वर्ग मीटर 50 साये प्रति मीटर की दर से	6,650-00
[च]	अनिवार्य कृषिशी अवाप्ति का एक कुल राशि पर मुआवजा	17,304-00
[ट]	अवाप्ति कार्यवाही में धन एवं समय व्यय का 5 प्रतिशत	8,652-00

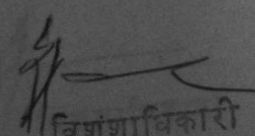
[ठ] दि कि 22-5-82 से मुआवजा मिलने की तारीख तक 6 प्रतिशत व्याज

[9] राजस्थान आवास मण्डल ने वाद संख्या 1/82 [11] व बलेमा का 1/82[20] के दावेदारों के उत्तर प्रस्तुत कर बलेमा में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अत्याधिक बतलाते हुए वाद संख्या 1/82[11] में भूमि की कीमत 10,000/- साये प्रति बीघा, मिट्टी के ढोले के 799-33, मकानात के 5,725-30 एवं ट्रिंक वर्ड कन्स्ट्रक्शन के 3,060/- एवं पेडों के 860/- साये देना जायज बतलाया है तथा वाद संख्या 1/82 में भूमि की कीमत 10,000/- साये प्रति बीघा कुर्वा के 4,300/- साये, ढोले के 1010-77 साये तथा सीमेंट वेड के 150/- साये देना जायज बतलाया है।

[9] आवास मण्डल के इस योजना से सम्बन्धित स्थल अभियन्ता ने तहसीने प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से वाद अनुसार भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर का तहसीना प्रस्तुत किया है :

[11] वाद संख्या 1/82[11] की बिज्या पुत्र राम नाथ खसरा नम्बर 48 एवं 49 का तहसीना:

1. मिट्टी का ढोला	799-35
2. छत 2 नं	5,725-30
3. ट्रिंक वर्ड 00 क्वड्रेजल	3,060-00
4. पेड 9	86-00


विशंशाधिकारी
राजस्थान विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.



[2] वाद संख्या [782]20 की भारी लागत पुत्र
हरिनारायण, श्री बी.नारायण पुत्र श्री बड़ी
नारायण एवं राधेनारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण
भूमि खसरा नम्बर 125 का तालमीना

1. बरत के वृक्ष 40 की कीमत	4,000.00
2. बमूस के 2 वृक्षों की कीमत	200.00
3. रंग के 1 वृक्ष की कीमत	100.00
4. चिट्ठी के डाली की कीमत	1,010.77
5. लिमेट का धोरा [लिमेट केड]	120.00

योग: 5,460.77

[10] दावेदारान की ओर से अपने अपने क्लेमों के समर्थन में
जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं उनका विवरण निम्न
प्रकार से है :--

वाद संख्या 1/82[11] में दावेदारान द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजात का विवरण:

1. श्री बी.जी. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात:

1. जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 तक
2. खसरा गिरदावरी सम्वत् 2034 से 2038 तक
3. पर्वत यतानी सम्वत् 2015 से 2034 तक
बाबत खसरा नम्बर 54 एवं 56.
4. प्रमाण के लिए पर्वत नोटिस सहित श्रु प्रबंध वि.
5. विजय पत्र दिनांक 2-6-1982
6. विजय पत्र दिनांक 15-11-8073
7. विजय पत्र दिनांक 1-1-73
8. विजय पत्र दिनांक 17-7-72
9. विजय पत्र दिनांक 9-8-71
10. नकल जमाबंदी से 2015 से 2034
11. नकल खसरा व गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2033
12. वहीद रसीद बिजली दिनांक 26-7-71

विशेषाधिकारी

समन्वय विकास एवं आवासन विभाग ;
राजस्थान, जयपुर.



वाद संख्या 1/82/20] में श्री दावेदारान् एवं जामिनाराम
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजतः।

1. नकल विजय पत्र दिनांक 19-7-72
2. फाँटी कापी विजय पत्र दिनांक 9-8-71
3. .. दिनांक 15-11-73
4. नकल तसरा गिरदावरी सम्वत् 2034 से 2038

इस
[11] आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त वादों में जो दस्तावेजतः
प्रस्तुत किये वे उनका विवरण निम्न प्रकार से है:—

1. नकल विजय पत्र दिनांक 15-4-1981
2. नकल विजय पत्र दिनांक 4-1-1982
3. तस्मीना द्वाकसी ताद संख्या 1/82/20]
4. तस्मीना द्वाकसी ताद संख्या 1/82/11]

[12]

मैंने इस याजिना से सम्बन्धित अभियन्ता के साथ
इस प्रकरण से सम्बन्धित वाद संख्याओं की भूमियों का
नौका निरीक्षण किया सम्बन्धित पत्रावलिओं का अवलोकन
किया। दावेदारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजतः का अवलोकन
किया तथा पत्रकारान् के विद्वान् अभिभाषकण की बहस
कली।

वाद संख्या 1/82/11] की पत्रावली के अवलोकन से
पाया कि भूमि तसरा नम्बर 48 व 49 का कुल रकबा
राजस्व रिकार्ड के अनुसार 3 बीघा होता जबकि दावेदार
की बीजा पुत्र रामनाथ ने अपने पत्नी से धार बीघा भूमि
के मुजावते की सही की है इस संबंध में मैं राजस्व अभिलेख
को सही मानते हुए राजस्व रिकार्ड के अनुसार तसरा नम्बर
48 का रकबा 10 बिस्ता तथा तसरा नम्बर 49 का रकबा
2 बीघा 10 बिस्ता कुल रकबा 3 बीघा मानता हूँ और
मैं 3 बीघा भूमि का मुजावज देना ही न्यायोचित मानता हूँ

वाद संख्या 1/82/11] की पत्रावली के अवलोकन पर
मैंने पाया कि प्रभु लाल पुत्र शाला जाति धानका निवासी
ग्राम मुजालपुरा में भूमि तसरा नम्बर 48 स्थित ग्राम मुजालपुरा

विशेषाधिकारी

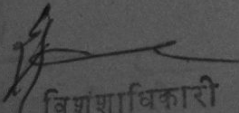
जनरल विकास एवं आवासन विभाग

राजस्थान, जयपुर.



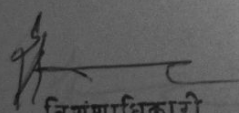
में 2 कितना काम धर फर् । इन्हें के मुजावले के साथ में 18,630/-साथी की मांग की है । मैंने पतावली का अवलोकन किया । आवासीय मकान द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों का अवलोकन किया । आवासीय मकान के तस्वीरों में भी कुछ काम पुनर्शांति के मकानों का काम भी मिलता नहीं है वतः मैं प्रस्ताव पुनर्शांति धानका की मुजावला देना ज्यादाचित्त नहीं मानता हूँ ।

कार संख्या 1/82/11 में दावेदार बीजा के आता रामेश्वर ने दिनांक 1-9-83 को आपत्ति का प्रस्तुत कर बीजा को मिलने वाले मुजावले में से 1/2 भाग की राशि प्राप्त करने का अधिकार दर्शाते हुए प्रस्तुत की है । इस संबंध में मैंने पतावली का अवलोकन किया दावेदारान के अभिभाषक की वतस सुनी । आराजी खसरा नम्बर 48, 49 में आपत्ति कर्ता श्री रामेश्वर ने बाधा हिस्सा होना कथन किया है आपत्ति का मैं खसरा खान दान भी दिया गया है जिसे देखाया गया है कि बीजा दावेदार के बलावा उपदार सहित 3 भाग और के जिसे से 2 भागें 10000 निसम्तान मर चुके हैं, वर्तमान में इस आराजी में केवल बीजा दावेदार का 1/2 हिस्सा व आपत्ति कर्ता श्री रामेश्वर का बाधा हिस्सा होना कथन किया है । यह आराजी रामेश्वर आपत्ति कर्ता के अनुसार उनके पितामह पुरा की मिलीयत होना बतलाया गया है इस आधार पर आपत्ति कर्ता ने अपना हक जाहिर किया है । बीजा दावेदार ने जाब प्रस्तुत कर बतलाया है कि इस आराजी से पुरा का कोई सम्बन्ध नहीं है यह आराजी उसकी सख्त की सम्पत्ति है सम्वत् 2004 में बीजा ने यह आराजी जागीरदार से हासिल पर ली थी और तब से इस आराजी निरन्तर कायम करता आ रहा है । जागीर के समय में जागीरदार को हासिल देता था । जागीर अधिग्रहण होने पर राज्य सरकार द्वारा सम्वत् 2015 में पर्व जागीरारी दावेदार के पक्ष में जारी हो गये । इस प्रकार


विशेषाधिकारी
समर्थन विकास एवं आवासन विभाग ।
राजस्थान, जयपुर.



दावेदार ने यह भूमि पर 48 नम्बर अपना एक जमींदारी
होना दर्ज किया है। आपत्ति कर्ता ने अपनी जमींदारी
के कब्जे के तथ्यों में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, इसके
अलावा अन्य तथ्यों की अकांक्षणी साक्षी कोई प्रस्तुत
नहीं की। दावेदार की बीजा की ओर से जमाबंदी
संवत् 2025 से 2028 एवं समरा गिरदावरी संवत् 2034
से 2038 एवं नक्स जमाबंदी संवत् 2015 से 2034,
नक्स समरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2033 प्रस्तुत की।
सर्वे तथ दावेदार ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।
आपत्ति कर्ता ने यह आरोप उठाया कि पितामह पुरा की होना
कब्जा किया है इसके मूल में पुरा के फल का कोई राजस्व
रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। शहरा खानदान में दर्जिया
गया है कि पुरा का पुत्र रामनाथ जो दावेदार व जमींदार
का पिता होता है उसकी मृत्यु 2011 में हुई इसके साथ
यह भी कब्जा किया गया है कि रामनाथ के दावेदार के
अलावा राम सहाय, रामेश्वर जमींदार व गंगा राम पुत्रान
पैदा हुए थे। गंगा राम की मृत्यु 1973 में 13 वर्ष की आयु
में होना कहा है इसका अर्थ यह है कि गंगा राम 1960
में [संवत् 2017] पैदा हुआ। जब गंगा राम का जन्म जमींदार
संवत् 2017 में पैदा हुआ है तो यह माना जायेगा कि
रामनाथ संवत् 2017 में जीवित था। संवत् 2011 में
नहीं मरा। पर्व जमींदारी संवत् 2015 की है फिर यह
समय में नहीं जाता है कि यदि यह भूमि पुरा पिता रामनाथ
की होती तो संवत् 2015 में अवश्य पर्व रामनाथ के नाम
जारी होना स्वाभाविक था। पर्व बीजा दावेदार के नाम
नहीं बन सकता था। पर्व दावेदार के नाम तब ही बन
सकता है जब दावेदार की सत्य की भूमि हो। ऐसी स्थिति
में यह सिद्ध माना जाता है कि उपरोक्त भूमि समरा
नम्बर 48, 49 दावेदार की सत्य की निजी सम्पत्ति है।


विशंशाधिकारी
नगरपालिका विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.



उसके वापसित कारों को वापस किया नहीं है अतः यह वापसित
पत्र निरस्त किया जाता है और दावेदार श्री बीजा का
एक मात्र दावेदार राजेश किशोरी के आधार पर मानकर
उसके पक्ष में मुआवजा निर्धारण करना ही ज्यादा उचित समझता हूँ।

बाद संख्या 1/82/20 की फावली के अनुसार पर
मेने पाया कि भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 6 बीघा 9 बि.
राजस रैफर्ट की श्री भौरी लाल पुत्र हरि नारायण,
जोम नारायण पुत्र बड़ी नारायण एवं राधेना राय पुत्र लक्ष्मी
नारायण जाति ज्ञात के नाम से अंकित है। किन्तु जोम
श्री राधेना राय पुत्र लक्ष्मी नारायण एवं जोम नारायण पुत्र
बड़ी नारायण द्वारा अपने अपने हिस्से भूमि 2 बीघा 3 बि.
का ही कलेम प्रस्तुत किया है। श्री भौरी लाल पुत्र हरि
नारायण ने अपने हिस्से की भूमि 2 बीघा 3 बिस्ता का
कलेम प्रस्तुत नहीं किया है। किन्तु राजस रैफर्ट के आधार
पर श्री लक्ष्मी नारायण भौरी लाल पुत्र हरि नारायण
को भी उसके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही करते हुए भूमि का
मुजावजा देना अन्यायपूर्ण मानता हूँ। इस प्रकार भूमि
खसरा नम्बर 125 रकबा 6 बीघा 9 बिस्ता भूमि का
मुजावजा श्री भौरी लाल पुत्र हरि नारायण, जोम नारायण
पुत्र बड़ी नारायण एवं राधेना राय पुत्र लक्ष्मी नारायण
जाति ज्ञात के नाम से अंकित है।

ताद संख्या 1/82॥11॥ में दावेदार ने भूमि की कीमत 60,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से एवं ताद संख्या 1/82 ॥20॥ में दावेदारान ने भूमि की कीमत 45,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से मांग की है । इसके समर्थन में जो विवरण पत्र प्रस्तुत किए है उनमें यह दर सिद्ध नहीं होती है और उन दरों को मैं बहुत अत्यधिक मानता हूँ आता लन मण्डल में मैं दोनों यादों सम्बन्धित क्षेत्रों के उत्तर में भूमि की दर 10,000/-रुपये प्रति बीघा देना प्रस्तावित किया है तथा इसके समर्थन में जो विवरण पत्र प्रस्तुत किये है उनकी जोस्त कीमत 6,200/-रुपये प्रति बीघा आती है । 5 में भूमि की बढ़ती हुई कीमत और इसकी पोटैन्शियलिटी को देखते हुए

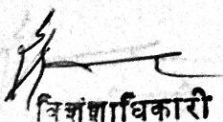
विशंशाधिकारी

नगराध्य विकास एव आवासन विभा
राजस्थान, जयपुर.



इन दर को कम करने का मानना है कि मामली में सभी नवसंपूर्ण मुद्रा भूमि का निष्पत्ति दिनांक की भूमि की दर निर्धारित करना है क्योंकि इन मामली में सम्बन्धित निष्पत्ति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12-1-82 को जारी की जा चुकी है और इन के पश्चात इसी के के कई मामली का निर्धारण की क्या जा चुका है। जिसमें भूमि की दर बाकी 20,000/- रुपये प्रति बीघा, बासानी एवं बंज 19,000/- प्रति बीघा एवं सब्जी की सीमा में बाने वाली भूमि की दर 1,000/- रुपये प्रतिरूप प्रति बीघा निर्धारित की गई है। अतः इन दरों की भी कम नजर रखना न्यायोचित होगा। प्रस्तुत प्रकरणों में बहन के दौरान विद्वान अधिवक्ता श्री दावेदारान ने तर्क प्रस्तुत किया कि वाद संख्या 1/82/11 की भूमि बसरा नम्बर 48 एवं 49 कुल रकबा 3 बीघा 10 आंश बाकी के सार में काम में ली जा रही है तथा यह भूमि राजस्व रिकार्ड में भी जारी अंकित है। तथा वाद संख्या 1/82/20 की भूमि बसरा नम्बर 125 रकबा 6 बीघा 9 आंश भूमि की बाकी के सार में काम में ली जा रही है इसी रीति एवं तरीके की दोनो फसल पैदा की जा रही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कान के समक्ष में मेरा ध्यान उनके द्वारा प्रस्तुत बसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 2038 की और दिलाया और कहा कि बसरा गिरदावरी में गेहूँ मटर, टमाटर, करीज आदि की फसल उब पैदा होना अंकित है अतः भूमि की बाकी मानकर मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। मैंने पत्तावली का अवलोकन किया मैं विद्वान अधिवक्ता की बहन से सहमत हूँ तर्क वाद संख्या 1/82/11 एवं वाद संख्या 1/82/20 की भूमियों का मुआवजा 20,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से देना न्यायोचित मानता हूँ।

दावेदारान के विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान वाद संख्या 1/82/11 एवं 1/82/20 की भूमियों में स्थित टमाटर तथा पौड़ी आदि के मुआवजे दिलाने के संबंध में वाकचित करते हुए कहा कि इनका मुआवजा हमारे काल के अनुसार दिया जाना चाहिए। मैंने पत्तावली का अवलोकन किया


विशेषाधिकारी

संयुक्त विकास एवं आवास विभाग
जयपुर

जो बावासा मण्डल द्वारा वाद संख्या 1/82/111 को प्रस्तुत होकर के तहसील के जमीने का जलौकन किया। तहसील की-पक्ष-द्वारा श्री-जी-बन्धु-डी-1/1980 को जज के दर पर आधारित है। अतः मैं वाद संख्या 1/82/111 में भूमि सतरा नम्बर 48 एवं 49 में स्थित होकर, मिट्टी का डोले के 799-35, छत के 5725-30, त्रिक वर्ग कन्वेयंस के 3,060/- साथ बावासा मण्डल के तहसील के अनुसार तथा पैडों के बावासा द्वारा बल के उत्तर में प्रस्तावित 860/- साथ देना न्यायोचित समझता हूँ। बावासा मण्डल द्वारा प्रस्तुत तहसील में पैडों के जो 86 साथ देना प्रस्तावित किया है उसी वही में कम मानता हूँ।

वाद संख्या 1/82/20 की भूमि सतरा नम्बर 125 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में स्थित होकर के जो बावासीय अधिनियम ने तहसील प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करना मैं न्यायोचित समझता हूँ और उसके अनुसार पैडों का मुआवजा 4,300/- साथ, मिट्टी के डोले के 1,010-77 एवं त्रिक वर्ग सीमेंट के 150/- साथ देना न्यायोचित मानता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरणों में अधिनियम मानते हुए अधिनियम की धारा 17/4 में भूमि जाल की गई है अतः अधिनियम की धारा 23/2 के अनुसार शालेय 10 प्रतिशत मुआवजे की राशि पर दिलाया जावे। इस तर्क के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 23/2 का अध्ययन किया इसके आधार पर 10 प्रतिशत शालेय दिया जाना न्यायोचित मानता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता पञ्जरान ने अधिनियम की धारा 34 के अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाना आवश्यक बताया है क्योंकि भूमि का कब्जा दिनांक 22-5-82 को बावासा मण्डल का दिया जा चुका है। मैं अधिनियम की धारा 34 का जलौकन किया, अतः मैं इस तर्क से भी सहमत हूँ।

विशंशाधिकारी

नगरीय विकास एवं श्रवासन विभाग :
राजस्थान, जयपुर.

[13] उपरोक्त विवरण के आधार पर निम्नानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता है :-

1. श्री बीजा का रायना 3 की मिली वाला मुआवजा काद किया 1/82/11

[क] भूमि सतरा नम्बर 48 रकबा 10 बिस्वा
एवं भूमि सतरा नम्बर 40 रकबा 2 बिधा
10 बिस्वा कुल रकबा 3 बीधा भूमि
का मुआवजा @ 20,000/- रुपये प्रति
बीधा की दर से 60,000-00

[ख] मिट्टी के ढाँचे की कीमत 799-35
रू.स की कीमत 5725-30
लिफ्ट वर्क कन्स्ट्रक्शन 3060-00

कुल 9584-65

वायारन मण्डल के लग्गीमे के अनुसार 9,584-65

[ग] वृक्षों की कीमत वायारन मण्डल द्वारा
कीम के जाब में प्रस्तावित कीमत
के आधार पर 860-00

योग:

70,444-65

[ध] अनियमित अनापत्ति का मुआवजा
10 प्रतिशत की दर से

7,044-46

योग

77,489-11

[ड] मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत
ब्याज का रिकॉर्ड दर से दिनांक
22-5-82 से 5-12-83

4,769-87

कुल योग

82,258-98

[अधर] बीया की हजार दो को अवाहन रुपये 98 पैसे मात्र

2. श्री भारी लाल पुत्र हरि नारायण, जौन नारायण

पुत्र बट्टी नारायण, एवं राधेना रायण पुत्र लक्ष्मीनारायण

को बराबर बराबर मिलने वाला मुआवजा काद किया

1/82/20

[क] भूमि सतरा नम्बर 125 रकबा 6 बीधा

विशेषाधिकारी

नगरपालिका विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.



118

9 विभाग का मुआवजा, 20.10.82 से 1,29,000.00
सर्वे प्रति वीधा की दर से

[क] खेती का मुआवजा आवास
मण्डल के तहसीले के अनुसार
1. पैठ 45 की कीमत 4,300.00
2. मिट्टी के तले की कीमत 1,010.77
3. फ्रिक सेल/सीमेंट वेड की कीमत 120.00

योग: 1,34,460.77

[ग] अतिरिक्त आवास का मुआवजा
10 प्रतिशत की दर से 13,446.00

योग: 1,47,906.77

[ध] मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत
व्याज वार्षिक दर से दिनांक
22.5.82 से 5.12.83 तक 9,104.47

कुल योग 1,57,011.24

[अ] अर्धर एक लाख सत्तावन हजार ग्यारह रुका सवे 24 पैसे मात्र

इस प्रकार आज दिनांक 5.12.1983 को रुपये 2,39,270.22
रुपये अर्धर दो लाख उन्तालीस हजार दो को सत्तर रुपये 22 पैसे मात्र
का बकाई धोषित किया गया। अधिनियम की धारा 12(1) के
अनुसार बकाई कागित कई फाईल को एवं अधिनियम की धारा 12(2)
के अनुसार सम्बन्धित कागदोपकरण को सुधित किया जवें तथा
प्रतिलिपि का सन सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर, सचिव राजस्थान आवास मण्डल, जयपुर एवं तहसीलदार
संगानेर को प्रेषित है।

आज दिनांक 12 5 दिसम्बर 1983 को कुले न्यायालय में
सुनाया गया।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर

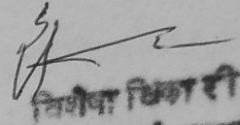


क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्न की सूची में सर्व आवश्यक कार्यों की
हेतु प्रेषित है:---

1. श्रीमान सावन मल्ल, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान मल्ल, राजस्थान आवास मण्डल, जयपुर
3. तहसीलदार मंगानेर तहसील मंगानेर जिला जयपुर
4. श्री बीजा पुत्र राम नाथ जति धानक निवासी ग्राम
मुजालपुरा तहसील मंगानेर,
श्री भौरी लाल पुत्र हरि नारायण, श्री बीम नारायण पुत्र
बद्री नारायण एवं श्री राधे नारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण
जति आत्मन निवासी मुजालपुरा तहसील मंगानेर
जिला-जयपुर.



निर्देशाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर.

1497 To 1502
5.12.83